भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1214

गुरूवार, 05 दिसम्बर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक)

महिला श्रमिकों पर गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव

1214. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला श्रमिकों पर गिग अर्थव्यवस्था प्लेटफार्मों के प्रभाव विशेष रूप से नौकरी की सुरक्षा, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा लाभों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) स्वचालित रूप से नौकरी सौंपे जाने, अवास्तविक लक्ष्य और अल्गोरिदम प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसी शोषणकारी प्रथाओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और महिला गिग श्रमिकों को डिजिटल और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए विनियम लागू करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): नीति आयोग ने जून 2022 में "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" नामक शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि गिग अर्थव्यवस्था में लचीले कार्य घंटों के कारण गिग और प्लेटफॉर्म कार्य में महिला कामगार अपने भुगतान और गैर-भुगतान देखभाल कार्य की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाती हैं, जहां संरचित शारीरिक कार्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है और कम प्रवेश बाधाओं के साथ नौकरियों तक पहुंच प्राप्त करने की सर्वसुलभता सभी के लिए समान अवसर पैदा करती है। यह क्षेत्र महिलाओं को अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है।

जारी/--2

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं को तथा उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों का पंजीकरण करने हेतु एक एडवाइजरी जारी की गयी है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम- "वन स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया है। ई-श्रम- "वन स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा फिड्युशरीज़ पर दायित्व डालता है, और उन्हें जवाबदेह बनाता है, साथ ही डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है।

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दी गयी है जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसे जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति हित लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर प्रावधानों का उपबंध करती है।
